

## फनिफ्लुएंसर

**भारतीय प्रतभूत और वनियम बोर्ड (SEBI)** वित्तीय रूप से प्रभावशाली लोगों के लिये दशानरिदेशों पर काम कर रहा है, जनिहें 'फनिफ्लुएंसर' के नाम से जाना जाता है।

- फनिफ्लुएंसर सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले लोग हैं जो स्टॉक में पैसे और नविश के बारे में सलाह एवं व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं।
  - उनके वीडियो में बजट बनाना, नविश करना, संपत्ति खरीदना, क्रपिटोकरेंसी सलाह और वित्तीय रुझान पर नज़र रखना शामिल है।

## वनियमों की आवश्यकता:

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवांछित 'स्टॉक' सलाह देने वाले 'अपंजीकृत' नविश सलाहकारों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है।
- इसके अलावा कुछ कंपनियों ने फनिफ्लुएंसर के माध्यम से अपने शेयर की कीमतों को बढ़ावा देने के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया।
- जब धोखाधड़ी की बात आती है तो सूचीबद्ध कंपनियों और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के बीच कोई अंतर नहीं होता है और इसीलिये अब डिजिटल डेटा चोरी एवं तकनीकी जोखिम में वृद्धि देखी जा रही है।
  - धन या संपत्ति के वपिथन (Diversion) के परिणामस्वरूप वित्तीय संकट, अराजकता, शेयरधारकों के धन की हानि, एक नैतिक समस्या और प्रतषिठा संबंधी नुकसान होता है।

## भारतीय प्रतभूत और वनियम बोर्ड (SEBI):

- **परिचय:**
  - SEBI भारतीय प्रतभूत और वनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
  - भारतीय प्रतभूत और वनियम बोर्ड का मूल कार्य प्रतभूतियों में नविशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतभूत बाज़ार को बढ़ावा देना और वनियमिती करना है।
  - इसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है।
- **संरचना:**
  - सेबी बोर्ड में नमिनलखित सदस्य होंगे, अर्थात्: -
    - सभापति
    - वित्त से संबंधित केंद्र सरकार के मंत्रालय के अधिकारियों में से दो सदस्य
    - भारतीय रजिस्टर बैंक के अधिकारियों में से एक सदस्य
    - पाँच अन्य सदस्य जनिमें से कम से कम तीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले पूरणकालिक सदस्य होंगे।
    - सेबी उस समय के महत्वपूर्ण मुद्दों को देखने के लिये जब भी आवश्यक होता है, वभिनिन समतियों की नियुक्ति भी करता है।
  - इसके अलावा सेबी के नरिणय से असंतुष्ट महसूस करने वाली संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिये एक प्रतभूत अपील न्यायाधिकरण (SAT) का गठन किया गया है।
    - SAT में एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य होते हैं।
    - इसमें वही शक्तियाँ नहिती हैं जो एक सविलि न्यायालय में होती हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति SAT के नरिणय या आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

